

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 15/02/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तों के नसबंदी हेतु नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत अस्पताल निर्माण के लिए कुल ₹338.46000 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तों के नसबंदी हेतु नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत अस्पताल निर्माण के लिए निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ-4 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-229 दिनांक-15/02/17 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	पटना नगर निगम, पटना	Animal Birth Control Centre With Canine Section and Operation theater for street Dog at by Pass Road Beur, Patna.	338.46000	38.46000	300.00000

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र।

- उक्त आवंटित राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र से योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा-2), पटना द्वारा किया जायेगा।
- उक्त आवंटित ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र

✓

सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 मुख्य शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष - 0109- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **P 2217011910109** राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

- (i) योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा-2), पटना द्वारा कराया जाएगा।
- (ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण -लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.2.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-08/2016 230 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 15.02.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

सरकार के विशेष सचिव।

cu *2017*

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 15/02/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तों के नसबंदी हेतु नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत अस्पताल निर्माण के लिए कुल ₹338.46000 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तों के नसबंदी हेतु नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत अस्पताल निर्माण के लिए निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ-4 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटन हेतु स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	पटना नगर निगम, पटना	Animal Birth Control Centre With Canine Section and Operation theater for street Dog at by Pass Road Beur, Patna.	338.46000	38.46000	300.00000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र से योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा-2), पटना द्वारा किया जायेगा।

4

3. उक्त स्वीकृत ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹38.46000 लाख (अड़तीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 मुख्य शीर्ष 2217- शहरी विकास- उपमुख्यशीर्ष -01- राज्य की राजधानी का विकास- लघुशीर्ष -191- नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष - 0109- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2217011910109 राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080 -विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

- (i) योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा-2), पटना द्वारा कराया जाएगा।
- (ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण -लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (iv) योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

04

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०-03-08/2016 के पृष्ठ सं०-13...../टि० पर दिनांक-10.02.2017.... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-13...../टि० पर दिनांक-10.02.2017.... को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-08/2016 229 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-15/02/17

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

cc - *[Handwritten signature]*